

दैनिक

रोकटोक लेखनी

खबरें बे-रोकटोक

“परिवार ने ड्राइवर को दुर्घटना का दोष लेने की धमकी दी...



Page - 4

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

मुंबई ने पकड़ा गया नाइजीरियाई तस्कर... 80 लाख की कोकीन जब्त!



मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) ने नागपाड़ा में 55 वर्षीय नाइजीरियाई तस्कर को पकड़ा। सूत्रों ने बताया कि उसके पास 80 लाख रुपये कीमत की 200 ग्राम कोकीन मिली। वली सेल को सूचना मिली कि एक नाइजीरियाई ड्रग तस्कर नागपाड़ा के मदनपुरा इलाके में कोकीन ला रहा है। तदनुसार, प्रभारी निरीक्षक संदीप काले और उनकी टीम ने उस स्थान पर जाल बिछाया था। उस वक्त नाइजीरियाई नागरिक क्रिस्टोफर (55) को तब हिरासत में लिया गया जब अधिकारियों ने देखा कि वह संदिग्ध हरकतें कर रहा है। जब उसके शरीर की तलाशी ली गई तो उसके पास से 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई। उनकी गिरफ्तारी के बाद, उन्हें अस्थायी रूप से भारत में रहते हुए पाया गया। उसे अदालत में पेश किया गया और 27 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव: उद्भव ने किया उम्मीदवारों का ऐलान

मुंबई स्नातक क्षेत्र से अनिल परब को मैदान में उतारा

मुंबई: उद्भव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 26 जून को होने वाले महाराष्ट्र विधानपरिषद चुनाव के सिलसिले में मुंबई स्नातक और मुंबई अध्यापक निर्वाचन क्षेत्रों से अपने विधानपरिषद सदस्य अनिल परब एवं पार्टी प्रदाधिकारी जे एम अभयंकर को शनिवार को अपना प्रत्याशी बनाया। परब महाराष्ट्र में ठाकरे की अगुवाई वाली पिछली महा विकास आघाडी सरकार में मंत्री थे। अभयंकर शिवसेना (यूबीटी) की शिक्षक शाखा के प्रमुख हैं। विधानपरिषद की 78 सीट में शिवसेना (अविभाजित) के पास 11, राकांपा (अविभाजित) के पास नौ, कांग्रेस के पास आठ एवं भाजपा के पास 22 सीट हैं। जनता दल यूनाइटेड (जदयू), पीजेडएस एंड वर्कर्स पार्टी एवं राष्ट्रीय समाज पार्टी के एक-एक



सदस्य हैं, जबकि चार निर्दलीय हैं। इक्कीस सीट रिक्त हैं। रिक्त सीट में 12 ऐसी सीट हैं, जिनपर राज्यपाल द्वारा मनोनयन किया जाएगा। नौ सीट के लिए निर्वाचन स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के माध्यम से होगा। उल्लेखनीय है कि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के ज्यादातर सदस्य इन दलों में विभाजन हो जाने के बाद क्रमशः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले धड़े एवं उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट में चले गये।

विधानपरिषद की चार सीट -- मुंबई स्नातक, कोंकण स्नातक, मुंबई अध्यापक और नासिक अध्यापक सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव जरूरी हो गया है, क्योंकि इन सदस्यों का कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख सात जून है। मतदान 26 जून को होगा और परिणाम की घोषणा एक जुलाई को होगी। परब ने दावा किया कि मुंबई स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पिछले 30 सालों से शिवसेना (अविभाजित) के नियंत्रण में रहा है और शिवसेनियों द्वारा किये गये काम के दम पर उनकी जीत पक्की है। उद्भव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना, राकांपा (शरदचंद्र पवार) और कांग्रेस महा विकास आघाडी के घटक हैं।

सिडको की ऑनलाइन नीलामी में घोटाले की आशंका!

पनवेल: सिडको कॉर्पोरेशन ने हाल ही में बामनडोंगरी में दुकानों के लिए एक ऑनलाइन बोली नीलामी का आयोजन किया। लेकिन जब नीलामी अंतिम चरण में थी तो वेबसाइट पर सिडको की कोई हलचल नहीं होने पर निवेशकों ने नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि नीलामी में कुछ देरी हुई है। सिडको बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह समस्या कुछ समय से तकनीकी दिक्कतों के कारण है। इसके बाद निवेशकों ने सोशल मीडिया पर मांग की है कि बामनडोंगरी में दुकानों की नीलामी दोबारा होनी चाहिए। सिडको मंडल में महाधर्ममानरा और दुकानों की लॉटरी ऑनलाइन आयोजित की जाती है।

चूंकि सिडको कॉर्पोरेशन के पास अभी भी दक्षिण नवी मुंबई में बिक्री की गुंजाइश है, इसलिए क्षेत्र में घरों, भूखंडों और दुकानों की नीलामी से प्राप्त आय से सिडको का खजाना उत्साहित है। सिडको



बोर्ड पहले ही दावा कर चुका है कि मेगा हाउसिंग में भूखंडों की नीलामी और मकानों और दुकानों की ड्रॉइंग की प्रक्रिया पारदर्शी है। हाल ही में बामनडोंगरी में दुकानों की नीलामी में भाग लेने वाले निवेशकों ने सिडको की कार्यप्रणाली पर संदेह व्यक्त किया है, उनका आरोप है कि बोली लगाने समय ऑनलाइन सिस्टम बंद होने के कारण वे नीलामी में भाग नहीं ले सके, और मांग की है कि प्रक्रिया का संचालन करने वाली कंपनी को काली सूची में डाल दिया गया। साथ ही कई निवेशकों की मांग है कि यह नीलामी दोबारा होनी चाहिए। सिडको कॉर्पोरेशन की जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातवे ने बताया कि कुछ समय से तकनीकी समस्या थी।

अस्पताल के नाम से स्वीकृत ब्लड बैंक नहीं होने पर लाइसेंस होगा रद्द!

मुंबई: मुंबई समेत देशभर के अस्पतालों द्वारा ब्लड बैंक चलाए जाते हैं। लेकिन यह बताया गया है कि ये ब्लड बैंक अस्पताल के भवन या परिसर में नहीं हैं। इसलिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सेवा विभाग ने ऐसे ब्लड बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। सभी राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासनों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे ब्लड बैंकों के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदनों पर विचार न करें।

राज्य समेत देशभर के कई सरकारी और निजी अस्पतालों में ब्लड बैंक संचालित हैं। इन ब्लड बैंकों के लिए अनुमति प्राप्त करते समय संबंधित अस्पताल के नाम पर आवेदन किया जाता है। मरीजों को समय पर रक्त आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से अस्पताल ब्लड बैंकों को मंजूरी दी गई है। हालांकि, यह पाया गया है कि कई अस्पतालों के नाम पर



स्वीकृत ब्लड बैंक संबंधित अस्पताल भवन या परिसर में नहीं हैं। इसलिए इन ब्लड बैंकों से गड़बड़ी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस मामले पर विचार करते हुए केंद्र सरकार ने उन ब्लड बैंकों का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है जो अस्पताल के नाम पर चलाए जाते हैं, लेकिन अस्पताल के परिसर में नहीं और लाइसेंस के नवीनीकरण को भी मंजूरी नहीं दी जाएगी।

ब्लड बैंकों को हर पांच साल में अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होता है। लाइसेंस देने या नवीनीकरण के लिए, औषधि नियम,

1945 के नियम 122-जी के तहत राज्य औषधि विभाग और सीडीएससीओ को आवेदन किया जाता है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अस्पताल के नाम पर लेकिन अस्पताल के परिसर में नहीं स्थित ब्लड बैंकों के लाइसेंस नवीनीकरण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसे आवेदन आते हैं तो उन्हें अपने स्तर पर ही निरस्त कर दिया जाए, इसके निर्देश केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सेवा विभाग ने भी प्रदेश के सभी खाद्य एवं औषधि प्रशासन को दिए हैं।

हमने केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार सत्यापन शुरू कर दिया है। यदि ऐसा ब्लड बैंक पाया गया तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जायेगी। लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक ऐसा कोई ब्लड बैंक नहीं मिला है, हमारी वेरिफिकेशन प्रक्रिया जारी है - डी। आर। गव्हाणे, सहायक आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन

नदियों और नहरों में कचरा न फेंके, मनपा प्रशासन की अपील...

मुंबई: नदियों और नहरों से जहां कचरा हटा दिया गया है, वहां कचरा फेंकना एक आम बात है। नतीजा यह होता है कि प्रशासन को तैरते कूड़े को एक ही जगह से हटाने की व्यवस्था पर बार-बार खर्च करना पड़ता है। साथ ही सफाई के बाद भी नालों में कचरा मिलने से नगर निगम की बेवजह आलोचना होती है। इस तरह का कूड़ा-कचरा और भारी-भरकम वस्तुएं नदियों और नालों में फेंक जाती हैं, जिससे भारी बारिश के दौरान बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए, ऐसी घटनाओं से बचने के लिए, नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे गाद वाले नदी नालों में कचरा और सामान न फेंकें।

मुंबई में छोटे-बड़े नालों और नदियों से कचरा हटाने का काम नगर निगम ने तेज कर दिया है। अपर मनपा आयुक्त अश्विनी जोशी एवं अपर मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने निरीक्षण दौर के दौरान संबंधित अधिकारियों को



आदेश दिये कि ये सभी कार्य मानसून से पहले समय पर एवं सही तरीके से पूरे किये जायें, जहां गाद हटाने का कार्य पूरा हो चुका है, वहां मैनापार एवं प्लांट लगाये जाएं। आवश्यक स्थानों पर ले जाया जाए। इन कार्यों का निरीक्षण करने और उचित आदेश देने के लिए, अश्विनी जोशी ने शहर प्रभाग में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया, जबकि अभिजीत बांगर ने शनिवार को शहर, पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। एफ साउथ सेक्टर प्रत्यक्ष नगर बस डिपो काउंडर नाला में अश्विनी जोशी, जे. क। केमिकल नाला, शास्त्रीनगर नाला, डब्यूटीटी नाला के डिसिल्टिंग कार्य का निरीक्षण किया। इसके बाद

जी नॉर्थ डिविजन में रावली नाला, दादर धारावी नाला, राजीव गांधी नगर नाला, राजीव गांधी नगर, लूप रोड और शिव हॉस्पिटल इलाके में लाल बहादुर शास्त्री मार्ग का भी दौरा और निरीक्षण किया गया।

इस समय विभिन्न स्थानों पर सीवेज, वर्षा जल आदि नालों पर मैनहोल के स्थान पर लगाये गये सुरक्षात्मक जालों एवं ढक्कनों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने उन सभी स्थानों पर जहां मानव प्रवेश की आवश्यकता है, जाल और कवर लगाने में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उपयुक्त प्रशांत सपकाले, सहायक आयुक्त चक्रपाणि एले आदि उपस्थित थे।



संपादकीय...



फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

शेयर बाजार पर विदेशी निवेशकों का दबाव

भारत अब महामारी से होने वाली परेशानी से मजबूती से उबर चुका है और 7 फीसदी से ज्यादा दर से आगे बढ़ रहा है। ज्यादातर अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि मध्यम अवधि में भारत एक चमकीले सितारे की तरह आगे बढ़ता रहेगा, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति अपेक्षाकृत सुस्त रहने के आसार हैं।

भारत में महामारी के बाद होने वाले सुधार में सरकारी पूंजीगत व्यय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन वृद्धि की गति को आगे बनाए रखने में निजी क्षेत्र के निवेश में सुधार की भी अहम भूमिका रहेगी। वैसे तो कई क्षेत्रों में निजी निवेश के गति पकड़ने की खबर है, लेकिन इस हफ्ते प्रकाशित भारतीय रिजर्व बैंक (एफके) के मासिक बुलेटिन में आए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नवीनतम आंकड़े निवेश को आकर्षित करने और सहज करने की भारत की क्षमता की एक सचेत तस्वीर पेश करते हैं। प्रमुख आंकड़े दिखाते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में सकल प्रवाह/निवेश करीब 71 अरब डॉलर पर स्थिर था, वहीं शुद्ध एफडीआई (सीडी शुद्ध) एक साल पहले के 28 अरब डॉलर से घटकर 10.6 अरब डॉलर हो गया। इसकी बड़ी वजह विदेशी निवेशकों की उच्च स्तर की निकासी या धन वापसी रही, जो कि मध्यम अवधि की वृद्धि संभावनाओं के लिए चिंता पैदा करती है। दूसरी तरफ, भारत द्वारा किया जाने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्ष 2022-23 के 14 अरब डॉलर से बढ़कर पिछले वित्त वर्ष में करीब 16 अरब डॉलर हो गया, जिसकी वजह समझी जा सकती है। असल में भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था में कुछ कंपनियों को विदेश में अवसर मिलना स्वाभाविक है। लेकिन मौजूदा विदेशी निवेशकों की बढ़ती निकासी और विनिवेश चिंता की बात है और इस पर नीतिगत ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए वर्ष 2023-24 में विदेशी निवेशकों ने 44 अरब डॉलर से ज्यादा राशि वापस भेजी है, जो कि इसके पिछले साल की निकासी के मुकाबले 50 फीसदी ज्यादा है। यहां यह गौर करना अहम होगा कि धन वापसी में लगातार बढ़त हो रही है। जैसा कि हाल में आई रिपोर्ट में रेखांकित गया है। साल 2014 के बाद कुछ साल तक धन वापसी का हिस्सा घटा, लेकिन साल 2016-17 से रुख बदल गया। वैसे तो सकल एफडीआई में लगातार बढ़त हो रही है, लेकिन धन वापसी का हिस्सा बढ़कर करीब 30 फीसदी हो गया है, जबकि वर्ष 2015-16 में यह करीब 19 फीसदी था। महामारी के दौरान इसमें गिरावट आई, लेकिन इसके बाद यह फिर बढ़ने लगा। पिछले वित्त वर्ष में यह सकल एफडीआई के 60 फीसदी से ज्यादा था। यही नहीं, भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था में कुछ मंथन की उम्मीद करना स्वाभाविक है। कुछ मौजूदा निवेशक बाहर जा रहे और कुछ नए निवेशक आ रहे।

शेयरधारकों को लाभांश वितरण की वजह से भी धन बाहर जाता है। लेकिन धन वापसी और विनिवेश का जो स्तर देखा जा रहा है, खासकर पिछले वित्तीय वर्ष में, वह चिंता पैदा करता है और नीति-निर्माताओं को इसे ठीक से समझना चाहिए। अगर समय के साथ एफडीआई का पैमाना बढ़ता रहा तो इससे भारत को मदद मिलेगी। यह देश की उत्पादक क्षमता बढ़ाएगा और वृद्धि की संभावनाओं को बेहतर करेगा। एफडीआई का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि विदेशी निवेशक तकनीकी विशेषज्ञता भी लाते हैं, जो समय के साथ व्यापक अर्थव्यवस्था में मदद करती है। अगर वृहद आर्थिक प्रबंधन के लिहाज से देखें तो भारत लगातार चालू खाते के घाटे से जुड़ा रहा है और इस विदेशी बचतों को हासिल करने की जरूरत है, इसलिए एफडीआई भारत में विदेशी फंडिंग के सबसे टिकाऊ स्रोत के रूप में काम करता है।



editor@roktoklekhaninews.com



+91 99877 75650



Faisal Shaikh @faisalroktok



Watch Us On



youtube@roktoklekhaninews.com

LIKE



SHARE



COMMENT



SUBSCRIBE



मुंबई में 30 मई से 5 प्रतिशत और 5 जून से 10 प्रतिशत पानी की कटौती

मुंबई: मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाले सभी सात बांधों में पानी का भंडारण काफी हद तक कम हो गया है। दिन-ब-दिन जल भंडारण कम होता जा रहा है और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जल भंडारण 5.64 कम है। उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए, नगर निगम प्रशासन ने मुंबई में 30 मई से 5 प्रतिशत और 5 जून से 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू करने का निर्णय लिया है। नगर निगम की ओर से ठाणे, भिवंडी-निजामपुर नगर निगम और अन्य गांवों में पानी की आपूर्ति की जाती है, जिसमें 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। मुंबई को सात बांधों उधवां वैत्राणा, मोदकसागर, तानसा, मध्य वैत्राणा, भाटसा, विहार और तुलसी से प्रतिदिन 3900 मिलियन



लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है। इन सातों बांधों की कुल जल भंडारण क्षमता 14 लाख 47 हजार 363 है। पिछले साल की तरह इस साल भी मुंबईकरों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि वर्तमान में उपलब्ध जल भंडारण पर्याप्त नहीं है, इसलिए नगर पालिका ने पानी में कटौती करने का निर्णय लिया है। दो साल 2021 और 2022 में 15 अक्टूबर तक मानसून सक्रिय रहा। लेकिन साल 2023 में अक्टूबर महीने में बारिश नहीं हुई। इसलिए

1,37,000 मिलियन लीटर और ऊपरी वैत्राणा बांध से 91,130 मिलियन लीटर का अतिरिक्त जल भंडारण मिलेगा। इस बीच मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि इस साल बारिश समय पर होगी। हाल ही में तापमान में वृद्धि, बारी-बारी से बढ़ते वाष्प-उत्सर्जन के कारण नगर पालिका द्वारा एहतियाती उपाय के रूप में जल कटौती लागू की जाएगी और जल भंडारण 10 प्रतिशत से कम होने के बाद जल आपूर्ति की योजना बनाई जा सकती है। मुंबईकरों को घबरावने की कोई वजह नहीं है। हालांकि नगर निगम प्रशासन ने अपील की है कि सभी नागरिक पानी का संयम से उपयोग करें। यह जल कटौती तब तक लागू रहेगी जब तक संतोषजनक वर्षा से जलाशयों में उपयोगी भंडारण में सुधार नहीं हो जाता।

मुंबई को भटसा बांध से

घोड़बंदर मार्ग पर कंक्रीटिंग शुरू...



ठाणे: ठाणे जिले की महत्वपूर्ण सड़कों में से एक घोड़बंदर मार्ग पर पिछले कुछ दिनों से सड़क चौड़ीकरण, भूमिगत सीवर का निर्माण और डामर सड़कों का कंक्रीटिंग शुरू किया गया है। इन कार्यों के कारण, घोड़बंदर मार्ग पर सर्विस रोड, आंतरिक सड़कों को विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा खोद गया है। इसका असर घोड़बंदर मार्ग पर यातायात व्यवस्था पर पड़ रहा है। अगले कुछ दिनों में बारिश से संभावना है। सड़क खुदाई के कारण घोड़बंदर को मानसून के मौसम में बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

कपूरवाड़ी से गायमुख तक घोड़बंदर मार्ग क्षेत्र में आबादी बढ़ गई है। चूंकि ठाणे शहर मुंबई के अपेक्षाकृत करीब है, इसलिए इस क्षेत्र में घर खरीदने वालों की संख्या अधिक है। इसके अलावा, गुजरात से उरण जेएनपीटी, भिवंडी और नासिक क्षेत्रों में परिवहन करने वाले भारी वाहनों को भी घोड़बंदर मार्ग से ले जाया जाता है। इसलिए यह मार्ग ठाणे जिले के महत्वपूर्ण मार्गों में से महत्वपूर्ण है। हालांकि, विभिन्न प्राधिकरणों के माध्यम से यहां काम चल रहा है। पांच साल से अधिक समय से, मेट्रो लाइन, मेट्रो फोर का वडाला-घाटकोपर-

कासारवडवली खेड, मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) द्वारा निर्माणधीन है। इस मार्ग के निर्माण के लिए घोड़बंदर रोड पर खुदाई की गई है। इसके अलावा उत्कीर्णन के चारों ओर अक्षर भी बनाए गए हैं। इससे मुख्य सड़कें संकरी हो गई हैं। इसका परिणाम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। वहीं, घोड़बंदर मार्ग को चौड़ा करने का फैसला लिया गया है। इसके मुताबिक यहां की सर्विस रोड को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। कासारवडवली इलाके में ये काम शुरू हो गए हैं। यहां डिवाइडर और सर्विस रोड के बीच ड्रेनेज का काम शुरू हो गया है। साथ ही कासारवडवली, वाघबील इलाकों में आंतरिक सड़कों को खोदकर सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इन खुदाईयों के कारण वाघबील की सड़क सचमुच धूल भरी हो गई है।

मुंबई में स्लम पुनर्वास योजना के लिए आपातकालीन प्रबंधन कक्ष की स्थापना, 1 जून से 30 नवंबर तक कार्यात्मक रहेगा

मुंबई: स्लम पुनर्वास प्राधिकरण ने मुंबई में स्लम पुनर्वास योजना के तहत इमारतों, पारगमन शिविरों और वहां रहने वाले निवासियों की सुविधा के लिए और आपात स्थिति के मामले में तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए एक आपातकालीन प्रबंधन कक्ष की स्थापना की है। यह कक्ष 1 जून से 30 नवंबर तक चालू रहेगा।

मानसून के दौरान जोपू योजना की इमारतें या मुंबई में ट्रांजिट कैप की इमारत गिरने या आपात स्थिति की संभावना रहती है। इसलिए, ऐसी स्थिति में, एक आपातकालीन कक्ष स्थापित किया जाता है ताकि निवासियों को तुरंत आवश्यक सहायता मिल सके। तदनुसार, इस वर्ष भी यह कक्ष स्थापित किया गया है, जोपू प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया। यह कमरा जोपू



अध्यापिका के मुख्यालय में 1 जून से 11 नवंबर तक चालू रहेगा।

जोपू प्राधिकरण के इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत सहायक अभियंताओं और द्वितीय अभियंताओं को नियंत्रण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह कक्ष 24 घंटे क्रियाशील रहेगा। इस कक्ष से संपर्क कर क्षेत्रवासी संकट के समय आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इन अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस सेल से संपर्क करने के लिए मोबाइल फोन नंबर जल्द ही जोपू अध्यापिका द्वारा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

गायमुख से वसई के बीच ट्रेफिक जाम... 10 से 15 मिनट के अंतराल पर लगभग आधा घंटा

ठाणे: घोड़बंदर घाट रोड के मरम्मत कार्य के कारण शनिवार को भी नागरिकों को ट्रेफिक जाम का सामना करना पड़ा। वन-वे ट्रेफिक के कारण शनिवार को वसई-विवार से ठाणे आने वाले नागरिकों को परेशानी हुई। इस दुविधा के कारण नागरिकों को 15 से 20 मिनट की दूरी तय करने में आधे घंटे से 15 मिनट तक का समय लग रहा था। घोड़बंदर मार्ग परिवहन के लिए



द्वारा शुक्रवार से घोड़बंदर घाट रोड पर डामरीकरण का काम शुरू किया गया। इस काम के चलते यहां ट्रेफिक को वन-वे रखा जा रहा है। इससे यातायात प्रभावित हुआ है और दुविधा बढ़ गई है। शनिवार सुबह से ही गायमुख चौपाटी से लेकर वसई गोलांनी नाका तक वाहनों की कतारें लग गईं। ये गाड़ियां वसई-विवार से ठाणे की ओर आ रही हैं और इस दुविधा में नागरिकों को काफी परेशानी हुई है।



मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने यशराज फिल्म के खिलाफ 100 करोड़ की रॉयल्टी धोखाधड़ी का मामला बंद कर दिया

मुंबई : लगभग पांच साल की जांच के बाद, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने यशराज फिल्म के खिलाफ उनकी फिल्मों में प्रदर्शन करने वाले गीतकारों, गायकों और संगीतकारों की रॉयल्टी में 100 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी का मामला बंद कर दिया है। 2012. पुलिस ने मामले को 'सी' सारांश के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसका अर्थ है कि यह न तो सच है और न ही गलत है। ऐसा तब होता है जब तथ्यों की गलती के कारण कोई आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है या जब शिकायत की गई शिकायत नागरिक प्रकृति की होती है, तो पुलिस को दी गई जानकारी न तो सही होती है और न ही गलत।

धोखाधड़ी सेल ने पिछले सप्ताह संबंधित अदालत के समक्ष क्लोअर रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि आरोपी कंपनी द्वारा पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, "शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि वाईएसएफ ने अनुबंध पत्र में गाने के लिए उपयोगकर्ता कंपनी/शोपक कंपनी से लाइसेंस शुल्क लिया था या किसी अन्य तरीके से रॉयल्टी प्राप्त की थी और उन्होंने इसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए इस्तेमाल किया है जो सच नहीं है।

इसके अलावा, जांच के दौरान, यह देखा गया कि आरोपी कंपनी द्वारा समय-समय पर गीतकारों और संगीतकारों, जो वादी के सदस्य हैं, को भुगतान की गई रॉयल्टी की राशि वादी कंपनी द्वारा प्राप्त/स्वीकार की गई है।" रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि गीत रॉयल्टी राशि की गणना के संबंध में कॉपीराइट समझौते के प्रावधानों में स्पष्टता की कमी के कारण यह मुद्दा उत्पन्न हुआ है। भारत में कानून या कॉपीराइट के प्रावधानों में स्पष्टता या समानता की कमी के कारण अदालतों में कानूनी मामले लंबित हैं। परिणामस्वरूप



ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उक्त प्रकरण में गबन जैसा कोई संज्ञेय अपराध किया गया है। अनुबंध के नियम और शर्तें नागरिक मामलों से संबंधित हैं, और इसलिए, अदालत से 'सी' सारांश रिपोर्ट को मंजूरी देने का अनुरोध किया जाता है।

ईडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी (आईपीआरएस) द्वारा 2019 में दायर मामले में बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म पर कथित तौर पर गीतकारों, संगीतकारों, गायकों और संगीत निमाताओं के 100 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप लगाया गया था। आईपीआरएस ने आरोप लगाया कि प्रोडक्शन हाउस ने कलाकारों पर अवैध समझौतों पर हस्ताक्षर

करने के लिए दबाव डालकर उसे दूरसंचार कंपनियों, रेडियो स्टेशनों और संगीत स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों से रॉयल्टी इकट्ठा करने से रोका। नेस्ले इंडिया के शेयरधारकों ने स्विस् मूल कंपनी को रॉयल्टी भुगतान बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, 0.75% बढ़ोतरी के खिलाफ मतदान किया। रॉयल्टी भुगतान। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पीएससी परीक्षा मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी महिलाओं को राहत देने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बुढासा ने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बड़े भाई अयाजुद्दीन सिद्दीकी को चक्रबंदी विभाग को जारी किए गए फर्जी आदेश पत्र से जुड़े जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

एंटोप हिल में युवक पर हमला, दो गिरफ्तार

मुंबई: अप्रैल महीने में हुए झगड़े के गुस्से में गुरुवार रात एंटोप हिल में एक शख्स पर चाकू से हमला करने की घटना हुई। इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें 29 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। विजयकुमार देवेन्द्र का पिछले महीने मुरगन देवेन्द्र से विवाद हो गया था। उसी गुस्से को ध्यान में रखते हुए गुरुवार रात करीब 10.30 बजे मुरगन पर दोपहिया वाहन पर आ रहे विजय को रोका और उसके पेट में चाकू से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल विजय के सड़क पर गिरने के बाद आरोपी मौके से भाग गए। इस बीच, इस घटना की जानकारी मिलते ही एंटोप हिल पुलिस मौके पर पहुंची। विजय को तुरंत शिव अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर मुरगन और वेलु दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।

डॉंबिवली फैक्ट्री विस्फोट : मालिक को 29 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया

ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की अदालत ने शनिवार को डॉंबिवली में उस रासायनिक फैक्ट्री के मालिक को 29 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया, जहां विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई थी और 60 से अधिक घायल हो गए थे। ठाणे शहर पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी अमुदादन केमिकल्स के मालिक मलय मेहता (38) को कल्याण में मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मेहता की 14 दिनों की हिरासत मांगी और अदालत को सूचित किया कि उन्हें फैक्ट्री स्थल का दौरा करना होगा और पता लगाना होगा कि क्या अपराध में और लोग शामिल थे।



अधिकारी ने कहा कि विस्फोट के कारण क्षति बहुत अधिक थी और पुलिस इस घटना में कई लोगों की भूमिका की जांच करना चाहती थी। मेहता के वकील ने तर्क दिया कि कंपनी के पास सभी अपेक्षित अनुमतियां थीं और उसने सभी नियमों का पालन किया था। इस मामले में एक हस्तक्षेपकर्ता भी था जिसने हिरासत और पूछताछ के लिए पुलिस की याचिका का समर्थन किया। अधिकारी ने बताया कि सभी वकीलों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 29 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

अपराध शाखा की उल्लासनगर इकाई ने जांच अपने हाथ में ले ली है। पुलिस ने कंपनी के मालिकों, निदेशकों, प्रबंधन कर्मचारियों और फैक्ट्री की देखरेख करने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), जानबूझकर चोट पहुंचाना और ज्वलनशील पदार्थों और विस्फोटक पदार्थों के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण के तहत मामला दर्ज किया गया है। आईपीसी के अलावा,

बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश, शराब की बिक्री पर रोक केवल चुनाव परिणाम घोषित होने तक

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट की अवकाश पीठ ने शुक्रवार को मुंबई उपनगरीय जिला और शहर कलेक्टर को निर्देश दिया कि 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना के दौरान शहर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध केवल उस दिन परिणाम घोषित होने तक रहेगा। मुंबई के क्षेत्र में सीटों के लिए एंजोसिएशन ऑफ ओनर्स ऑफ होटल्स एंड रेस्तरां (एचएआर) ने दो याचिकाएं दायर की थीं। उन्होंने शहर और उपनगरीय कलेक्टरों द्वारा 4 जून को "शुष्क दिवस" घोषित करने के आदेश को चुनौती दी। न्यायमूर्ति नितिन बोरकर और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेसन की अवकाश पीठ ने रायगढ़ जिले के लिए 3 मई के आदेश के अनुरूप आदेश पारित किया। अधिवक्ता वीना थडानी द्वारा दायर याचिकाओं में कहा गया है कि कलेक्टरों ने 4 जून के लिए शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है, हालांकि वोटों की गिनती पूरी होने की उम्मीद है और लोकसभा चुनाव के नतीजे दोपहर तक घोषित होने की संभावना है। अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने कहा कि उपनगरीय जिला कलेक्टर ने मतगणना समाप्त होने तक प्रतिबंध को संशोधित करके अपनी अधिसूचना वापस ले ली है।



लेकिन अधिनियम की धारा 84 का हवाला देते हुए चव्हाण ने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर परिणाम घोषित होने तक शराब की बिक्री पर रोक जारी रहनी चाहिए। थडानी ने दावा किया कि एचएआर ने अपने फैसले की समीक्षा के लिए कलेक्टरों से संपर्क किया था। हालांकि, उन्हें सूचित किया गया कि प्रतिबंध चुनाव आयोग की पिछली अधिसूचना पर आधारित था और इसलिए इसे बदला नहीं जा सकता। इसमें कहा गया था कि शराब की बिक्री प्रतिबंधित है। मतदान दिवस से 48 घंटे पूर्व एवं मतगणना दिवस पर शुष्क दिवस घोषित किया जाता है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अवैध कारोबार फिर भी फल-फूल रहा है और उसने न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की। चव्हाण ने कहा, हालांकि, मुंबई शहर कलेक्टर ने अपने परिपत्र में संशोधन नहीं किया है। "एक कलेक्टर संशोधित कर रहा है, दूसरा नहीं। वे (लोग) उपनगरों में जा सकते हैं और पी सकते हैं? दूसरे कलेक्टर को निर्णय लेना होगा... समानता

होनी चाहिए," पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की। चव्हाण ने दावा किया कि भ्रम की स्थिति होगी क्योंकि टीवी चैनलों पर नतीजों का कवरेज होगा और शराब विक्रेता दावा करेंगे कि उन्हें चुनाव अधिकारियों द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना ही घोषित कर दिया गया है, इसलिए अदालत पिछले फैसले के आधार पर आदेश पारित कर सकती है। बॉम्बे हाई कोर्ट की अवकाश पीठ, जिसमें जस्टिस नितिन बोरकर और सोमशेखर सुंदरेसन शामिल हैं, ने वकील वीना थडानी की दलीलों का जवाब देते हुए मुंबई कलेक्टरों को लोकसभा चुनाव नतीजों तक शराब की बिक्री सीमित करने का निर्देश दिया। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए जिला सोसायटी (उत्तरी गोवा) ने डेस्कटर ब्रैंगेज सहित कार्यकर्ताओं ने, पर्यावरण, वन्य जीवन और गांव के लोगों पर एक लोहार के दौरान पेपर लालटेन छोड़ने के जोखिमों के बारे में उत्तरी गोवा कलेक्टर को चिंता जताई। जिला समाज और पशु कार्यकर्ता उत्तरी गोवा के एक गांव के पर्यावरण, वन्य जीवन और लोगों के लिए एक लोहार के दौरान पेपर लालटेन जारी करने के जोखिम पर चिंता व्यक्त करते हैं।



“परिवार ने ड्राइवर को दुर्घटना का दोष लेने की धमकी दी”, पुणे सीपी पीड़ितों को न्याय का दिया आश्वासन...

पुणे: पुणे कार दुर्घटना मामले की चल रही जांच के बीच, जिसमें दो युवकों की जान चली गई, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने ड्राइवर के प्रारंभिक बयान और उसके बाद की कार्यवाहियों के बारे में विवरण दिया। पुलिस ने लिया और कहा कि पहली नजर में पुलिस को ड्राइवर के उस बयान पर यकीन नहीं हुआ जिसमें उसने दावा किया था कि वह कार चला रहा था, “जब ड्राइवर को पहली बार घटनास्थल से पुलिस स्टेशन लाया गया, तो उसने जो पहला बयान लिखित रूप में दिया, वह यह था कि वह कार चला रहा था।

लेकिन उस समय पुलिस ने ड्राइवर के बयान पर विश्वास नहीं

किया और उसके बाद प्रारंभिक जांच में, उन्होंने किशोर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया क्योंकि आयुक्त अमितेश कुमार ने ड्राइवर के प्रारंभिक बयान और उसके बाद की कार्यवाहियों के बारे में विवरण दिया। पुलिस ने लिया और कहा कि पहली नजर में पुलिस को ड्राइवर के उस बयान पर यकीन नहीं हुआ जिसमें उसने दावा किया था कि वह कार चला रहा था, “जब ड्राइवर को पहली बार घटनास्थल से पुलिस स्टेशन लाया गया, तो उसने जो पहला बयान लिखित रूप में दिया, वह यह था कि वह कार चला रहा था।



आरोपी के दादा को गिरफ्तार कर लिया, जिसे वह कथित तौर पर चला रहा था। पुणे शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि आरोपी के दादा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 365 और 368 के तहत एक अलग एफआईआर दर्ज की गई है।

पुणे के कयानी नगर में रविवार सुबह हुई घटना के संबंध में पुणे

सिटी पुलिस ने गुरुवार को 17 वर्षीय लड़के के दादा से पूछताछ की थी। आरोपी किशोर कथित तौर पर नशे की हालत में एक लम्बरी कार चला रहा था और उसने मोटरसाइकिल सवार दो आईटी पेशेवरों को टक्कर मार दी, जिनकी पहचान अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा के रूप में हुई है। पुणे पुलिस सीपी ने कहा कि आरोपी के दादा सुरेंद्र कुमार अग्रवाल के साथ-

साथ उनके बेटे विशाल अग्रवाल पर भी परिवार के ड्राइवर गंगाधर की शिकायत पर आईपीसी की धारा 342, 365, 368, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ड्राइवर गंगाधर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 19 मई की रात जब गंगाधर घर से बाहर जा रहे थे तो उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध सुरेंद्र अग्रवाल के घर ले जाया गया। सुरेंद्र और उनके बेटे विशाल ने कथित तौर पर गंगाधर को धमकी दी, उसका फोन छीन लिया और उसे अपने नाबालिग पोते के बजाय अपराध की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करने के प्रयास में उसे अपने बंगले में जबरन कैद रखा। किशोर न्याय बोर्ड के आदेश

पर आरोपी को संप्रेशन गृह में निरुद्ध किया गया है। पहले उन्हें मामले में जमानत दे दी गई थी, लेकिन बाद में 5 जून तक 14 दिनों के लिए अवलोकन गृह भेज दिया गया। आरोपी किशोर के पिता, विशाल अग्रवाल, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत दिए जाने के बाद बरवादा सेंट्रल जेल में बंद हैं। पुणे पुलिस कमिश्नर ने पहले कहा था कि नाबालिग आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पुष्टि की कि दुर्घटना के बाद पॉश कार चलाने के लिए नियुक्त व्यक्ति को फंसाने का प्रयास किया गया था, और कहा कि पुलिस उसके बयान की जांच कर रही है।

मुंबई में बीएमसी ने डब्बावालों के लिए साइकिल पार्क करने की जगह तय की

मुंबई: बीएमसी द्वारा कुछ रेलवे स्टेशनों के पास डब्बावालों और डब्बावालों के पार्किंग चक्र के लिए एक छुट्टी क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट स्थान बनाया जा रहा है। प्रारंभ में, बीएमसी ने उनके लिए अंधेरी स्टेशन पूर्व के पास और चर्चगेट पर अपनी साइकिलें पार्क करने के लिए जगह चिह्नित की थी और उसे साफ किया था। डब्बावालों ने पांच रेलवे स्टेशनों अंधेरी, बांद्रा, लोअर परेल, ग्रांट रोड और चर्चगेट के पास जगह मांगी थी। “एनजीओ वातावरण ने बीएमसी के साथ हमारा मुद्दा उठाया।



इसके बाद, अतिरिक्त नगर आयुक्त (एएमसी) सुधाकर शिंदे ने हमारे मुद्दे का समर्थन किया और अधिकारियों को इन स्टेशनों के पास हमें जगह उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पहले, हम अपनी साइकिलें पार्किंग स्थल या निजी स्थानों पर पार्क करते थे और प्रति माह 300 से 500 रुपये का भुगतान करते थे। साइकिलें भी बेतरतीब स्थानों पर पार्क की जाती हैं और वे चोरी हो जाती हैं, “मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन के अध्यक्ष उल्हास मुंके ने कहा।

अंधेरी पूर्व स्टेशन पर नए स्काईवॉक की लैंडिंग के पास एक जगह हमें दी गई है। इसी तरह, कुछ अन्य स्टेशनों के पास की जगह, जहां हमने अनुरोध किया है, की भी पहचान कर ली गई है, जबकि कुछ की बीएमसी द्वारा पहचान करने की

प्रक्रिया चल रही है। कुछ स्थानों पर, बीएमसी वार्ड के अधिकारियों ने हमें हमारी साइकिलों के लिए बाड़े और शेड बनाने का आश्वासन दिया है, “मुंके ने कहा। वातावरण फाउंडेशन के भगवान केशभट्ट ने कहा, “मुंबईकरों को भोजन पहुंचाने के लिए डब्बावाला समुदाय का अत्यंत समर्थन स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण है। हमने टिकाऊ परिवहन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बीएमसी के साथ बातचीत को बढ़ावा

दिया। एएमसी सुधाकर शिंदे ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्रशासन को साइकिल पार्किंग के लिए समर्पित, सुरक्षित और संरक्षित स्थान आवंटित करने का निर्देश दिया।

इससे पहले 2022 में, वातावरण फाउंडेशन ने डिलीवरी करने में उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए डब्बावालों का एक धारणा सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर, मुंबई में सुरक्षित साइकिल पार्किंग स्थान और बेहतर साइकिलिंग बुनियादी ढांचे के लिए डब्बावालों की मांगों को झटका.ओआरजी द्वारा आयोजित और पर्यावरण के लिए काम करने वाले संगठन अस्स द्वारा समर्थित एक याचिका में रखा गया था। याचिका पर लगभग 14,000 हस्ताक्षर मिले।

महाराष्ट्र स्नातक, शिक्षक एमएलसी चुनाव 26 जून को होगा

मुंबई: चुनाव आयोग (ईसी) ने शुक्रवार को स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से महाराष्ट्र विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव की संशोधित तारीख की घोषणा की। चुनाव 26 जून को होगा और परिणाम



- विलास पोटनिस (शिवसेना (यूबीटी) - मुंबई स्नातक), कपिल पाटिल (जद (यू) - मुंबई शिक्षक), निरंजन डावखरे (भाजपा - कोंकण स्नातक) और किशोर दराडे के कार्यकाल के कारण द्विवार्षिक चुनाव आवश्यक हो गए थे। (एक स्वतंत्र - नासिक

चुनाव कराया जाए। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 7 सदस्य शिक्षक होते हैं और 7 सदस्य स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र वह है जिसमें केवल किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातक, या समकक्ष योग्यता रखने वाले, मतदान कर सकते हैं। शिक्षकों के निर्वाचन क्षेत्र में, कम से कम माध्यमिक विद्यालय या उच्चतर में एक पूर्णकालिक शिक्षक ही मतदान करने के लिए पात्र है। मौजूदा सदस्यों

चुनाव कराया जाए। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 7 सदस्य शिक्षक होते हैं और 7 सदस्य स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र वह है जिसमें केवल किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातक, या समकक्ष योग्यता रखने वाले, मतदान कर सकते हैं। शिक्षकों के निर्वाचन क्षेत्र में, कम से कम माध्यमिक विद्यालय या उच्चतर में एक पूर्णकालिक शिक्षक ही मतदान करने के लिए पात्र है। मौजूदा सदस्यों

टीचर्स) - 7 जुलाई को समाप्त हो रहे हैं।

जून 2022 में शिवसेना में विभाजन के बाद, मुंबई स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिष्ठा की लड़ाई होने की उम्मीद है क्योंकि सेना (यूबीटी) इन सीटों को जीतने के लिए अपनी पूरी चुनावी मशीनरी लगा देगी। पिछले साल महाराष्ट्र के चार एमएलसी निर्वाचन क्षेत्रों, मुंबई ग्रेजुएट्स, मुंबई टीचर्स, कोंकण ग्रेजुएट्स और नासिक टीचर्स के लिए मतदाताओं का नामांकन शुरू हो गया था। 2018 में भी, सेना ने मुंबई ग्रेजुएट्स सीट बरकरार रखी, जो 1985 से उसके पास है। वरिष्ठ शिवसेना नेता, दिवांगत प्रमोद नवलकर ने तीन बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। राजनीतिक पंथवैश्वकों ने कहा कि मतदाता पंजीकरण इन चुनावों को जीतने की कुंजी है। चुनाव आयोग ने पिछले साल 30 सितंबर से 6 नवंबर और 23 नवंबर से 9 दिसंबर तक मतदाताओं का नामांकन शुरू किया था।

बेस्ट की ऐप-आधारित एयरपोर्ट प्रीमियम सेवा बंद !

मुंबई: BEST पहल की ऐप-आधारित मुंबई एयरपोर्ट - कफ परेड, खारघर, गुंडवली प्रीमियम बस सेवा बंद कर दी गई है। यात्रियों की खराब प्रतिक्रिया के कारण इन बस सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इन बसों का संचालन चलो ऐप कंपनी द्वारा किया जाता था। उन्होंने घोषणा की है कि वे सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा, हालांकि BEST की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है,



BEST के सूत्रों ने कहा कि सेवा बंद कर दी गई है। मुंबई में बढ़ता द्रूपण एक बड़ी समस्या बन गया है, जिसका

सबसे बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। इसके अलावा, मुंबई में चार पहिया वाहनों की संख्या बढ़

रही है और वाहनों की संख्या को कम करने और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन सेवाओं को जारी रखने के लिए, BEST पहल ने ऐप-आधारित प्रीमियम बस सेवा शुरू की है। यात्री इस बस में ‘चलो मोबाइल’ ऐप के जरिए सीट रिजर्व कर सकते थे। मुंबई हवाई अड्डा - कफ परेड, खारघर, ठाणे; गुंडवली-मुंबई हवाईअड्डा, बोरीवली-मुंबई हवाईअड्डा प्रीमियम बस सेवाएं संचालित की जा रही थीं।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रियल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रियल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@roktoklekhaninews.com